(22)

उत्तर प्रदेश शासन
सहकारिता अनुभाग--3
संख्या--2356/49-3-2010-115/2010.
लखनऊ : दिनांक : 6 अगस्त, 2010.

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमि0(इफ्को), नई दिल्ली ने श्री राम चन्द्र सिंह प्रधान, सदस्य, विधान परिषद एवं सभापति, उ0प्र0कोआपरेटिव फेडरेशन लिमि0, लखनऊ को **''दि इण्टरनेशनल कोआपरेटिव एलायन्स-- एशिया पैसिफिक (आई0सी0ए0)''** जिसका इफको एक महत्वपूर्ण सदस्य है, द्वारा बीजिंग (चीन) में दिनांक 01सितम्बर, 2010 से 05 सितम्बर, 2010 तक आयोजित **रीजनल एसेम्बली कोआपरेटिव फोरम एवं अन्य बैठकों** हेतु निर्धारित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु नामित किया है। उक्त विदेश यात्रा/बैठको में भाग लेने हेतु श्री राज्यपाल महोदय औपचारिक अनुमति निम्नलिखित उपबन्धों व शर्तो के अधीन प्रदान करते है :-

1- उपरोक्त बैठकों में भाग लेने के सम्बन्ध में होने वाला व्ययभार सहकारिता विभाग अथवा उ0प्र0 शासन पर नही पड़ेगा।

2- विदेश प्रवास की अवधि में उपरोक्त पदाधिकारी को विदेश आतिथ्य स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी।

3- प्रस्तावित बैठकों की समाप्ति के एक माह के अन्दर उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्ट निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 तथा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- विधान परिषद का सदस्य होने के नाते श्री प्रधान द्वारा विदेश यात्रा के सम्बन्ध में नियमानुसार औपचारिक सूचना विदेश यात्रा के पूर्व प्रमुख सचिव, विधान परिषद/सभापति, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराई जायेगी।

अमल कुमार वर्मा
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-2356(1)/49-3-2010-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

....2/

2- सभापति, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 पी0सी0एफ0 भवन 32--स्टेशन रोड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 17-7-2010 के संदर्भ में ।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 पी0सी0एफ0 भवन, 32--स्टेशन रोड, लखनऊ।

4- निदेशक (कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट) इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सदन, साकेत प्लेस, नई दिल्ली।

5- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव।